

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-164 / 2009
 संस्थित दिनांक-30 / 03 / 2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

विरुद्ध

सुभाष यादव पिता डालचन्द उम्र-42 वर्ष,
 निवासी-सिविल लाईन आर.टी.ओ ऑफिस के सामने,
 थाना कोतवाली बालाघाट, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियुक्त**

// निर्णय //

(आज दिनांक-15 / 05 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-20.02.2009 को करीब 2:30 बजे थाना बैहर, जिला बालाघाट अंतर्गत ग्राम मझगांव स्कूल के सामने लोकमार्ग पर वाहन बोलेरो क्रमांक-एम.पी.47 डी/0318 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत कुमारी रक्षा भैरम को ठोस मारकर घोर उपहति कारित किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-20.02.2009 को फरियादी वासुदेव भैरम दोपहर 2:30 बजे अपने छोटे भाई अमरनाथ की छोटी लड़की कुमारी रक्षा भैरम उम्र-5 वर्ष, ग्राम मझगांव स्कूल के सामने अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उस वक्त खैरलांजी तरफ से बोलेरो वाहन क्रमांक-एम.पी.47 डी/0318 का चालक सुभाष यादव वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया, जिससे कुमारी रक्षा भैरम को टक्कर लग गई। टक्कर लगने से रक्षा भैरम के दाहिने पैर में चोट लगी थी। मौके पर घटना ईशुलाल अमूले तथा संतोष चौधरी, मुकेश चौधरी ने देखे हैं। घटना के बारे में उसे मुकेश चौधरी ने बताया था, तब वह कुमारी रक्षा भैरम को लेकर थाने में रिपोर्ट करने गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना

बैहर में वाहन चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-13/2009, धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहत कुमारी रक्षा भैरम की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-20.02.2009 को करीब 2:30 बजे थाना बैहर, जिला बालाघाट अंतर्गत ग्राम मझगांव स्कूल के सामने लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम.पी.47 डी/0318 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत कुमारी रक्षा भैरम को ठोस मारकर घोर उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- फरियादी वासुदेव (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आहत कुमारी रक्षा भैरम उसकी भतीजी लगती है। आरोपी सुभाष को वह पहचानता है। घटना वर्ष 2009 की लगभग 3:00 बजे की है। आहत रक्षा स्कूल में रोड के किनारे थी, तभी मंडला तरफ से एक बोलेरो वाहन आया और हार्न बजाया, जिससे कुमारी रक्षा चमक कर सड़क पर स्कूल की साईड में गिर गई थी और बोलेरो वाहन कुमारी रक्षा के

पैर के उपर चढ़ गया। उक्त दुर्घटना बोलेरो वाहन के चालक की गलती से हुई थी। उक्त बोलेरो वाहन आरोपी सुभाष चला रहा था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत का प्राथमिक ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में किया गया था फिर जिला चिकित्सालय बालाघाट में हुआ था और नागपुर में सिम्स अस्पताल में एवं स्पर्श क्लीनिक में भी हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह मौके पर नहीं था और वह फोन पर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा था। इस प्रकार साक्षी के द्वारा मौके पर न होने के बावजूद भी अपने मुख्य परीक्षण में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में घटना का वृत्तांत प्रस्तुत किया है, जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में साक्षी के द्वारा मात्र अनुश्रुत साक्षी के रूप में कथन करते हुए अभियोजन मामलों का समर्थन किया गया है। .

6— मुकेश चौधरी (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा आहत को जानता है। घटना वर्ष 2009 के दिन के दो बजे ग्राम मजगांव स्कूल के सामने की है। जैसे ही मजगांव स्कूल की दो बजे की छुट्टी में कुमारी रक्षा अपने घर जा रही थी, तभी मण्डला तरफ से एक बोलेरो वाहन तेज गति से बैहर की तरफ आया और उसने कुमारी रक्षा भैरम को टक्कर मार दी थी। उक्त दुर्घटना में आहत का पैर टूट गया था। दुर्घटना के समय आरोपी सुभाष यादव वाहन का चालन कर रहा था। उक्त दुर्घटना वाहन चालक की गलती से हुई थी, क्योंकि कुमारी रक्षा अपनी साईड में चल रही थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय अपनी दुकान के पास खड़ा था और दुर्घटना होने के बाद वह घटनास्थल पर पहुंचा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जब वह दुर्घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां वाहन खड़ा हुआ था और चालक की सीट पर आरोपी बैठा हुआ था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी के द्वारा वाहन चलाकर टक्कर मारते हुए उसने नहीं देखा। इस प्रकार साक्षी के द्वारा मौके पर न होने के बावजूद भी अपने मुख्य परीक्षण में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में घटना का वृत्तांत प्रस्तुत किया है, जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में साक्षी के द्वारा मात्र अनुश्रुत साक्षी के रूप में कथन करते हुए अभियोजन मामलों का समर्थन किया गया है। .

7— ईशुलाल (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी एवं आहत दोनों को जानता है। घटना फरवरी 2009 की दोपहर के लगभग दो

बजे, ग्राम मजगांव स्कूल के सामने की है। दो बजे स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे रोड पार कर रहे थे, तभी मण्डल तरफ से एक चार पहिया वाहन आया और कुमारी रक्षा भैरम को ठोस मार दिया, जिससे कुमारी रक्षा के पैरों में चोट आई थी। उस समय वाहन आरोपी सुभाष यादव चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जब वाहन से दुर्घटना हुई और वाहन खड़ा था, तब वह घटनास्थल पर पहुंचा था। साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि उसके सामने दुर्घटना कारित नहीं हुई, बल्कि वह दुर्घटना होने के पश्चात् मौके पर पहुंचा था। ऐसी दशा में वाहन दुर्घटना आरोपी की गलती या लापरवाही से होने के संबंध में उसके कथन चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है। वास्तव में साक्षी ने मौके पर घटना के पश्चात् का वृत्तांत पेश कर दुर्घटना कारित होने और आहत रक्षा को उपहति कारित होने की पुष्टि तो की है, किन्तु साक्षी ने मुख्यपरीक्षण में आरोपी सुभाष के द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाए जाने अथवा आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित होने के कथन नहीं किये जाने से आरोपित अपराध के संबंध में साक्षी के कथन से अभियोजन पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

8— संतोष चौधरी (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। आहत रक्षा को जानता है। घटना लगभग 2 बजे की विधा प्राथमिक शाला मजगांव के सामने की है। जहां पर आहत रक्षा को बोलेरो वाहन के चालक ने टक्कर मार दी थी। घटना के समय वह वहां मौजूद नहीं था। उसने बाद में जाकर देखा था तो रक्षा को पैर में चोट लगी थी एवं बोलेरो वाहन वहीं घटनास्थल पर खड़ी थी। उसने वाहन चालक को नहीं देखा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन बोलेरो के चालक ने वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर आहत रक्षा को टक्कर मारी थी। साक्षी ने आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को चलाए जाने से भी इंकार किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने उसके प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

9— डॉ. एन.एस. कुमारे (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-20.02.2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के

पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर के सैनिक तेजराम क्रमांक-332 द्वारा आहत कुमारी रक्षा पिता अमरनाथ भैरम उम्र-05 वर्ष, निवासी-ग्राम सुरवाही को लाए जाने पर उसके द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें उसने आहत के शरीर पर दो चोटें पाई थी, जिसमें चोट क्रमांक-1 में उसने आहत के पैर पर कटी-फटी चोट, जो तिरछापन लिये, हड्डी कुछ बाहर निकली हुई दिखाई देना पाया था। उक्त चोट दाहिने पैर पर सामने की तरफ एंगल ज्वाइंट के उपर पाया था। चोट क्रमांक-2 में चमड़ी निकल गई थी, सूखा हुआ रक्त जमा था। उक्त चोट बाएं पैर पर सामने की तरफ पाया था। उक्त साक्षी ने अपने अभिमत में कथन किये हैं कि उसने आहत को एक्सरे की सलाह दी थी। चोट क्रमांक-2 साधारण प्रकृति की थी एवं कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी। उक्त चोटें उसके परीक्षण के 6 घंटे के भीतर की थी, जिस पर टांके एवं सपोटिंग बंडेस लगाया गया था। उसने आहत को आगे ईलाज हेतु अस्थि रोग विशेषज्ञ बालाघाट की ओर रेफर किया गया था। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।

10— डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.8) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-05.03.2009 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक-21.02.2009 को एक्सरे टेक्नीशियन ए.के. सेन ने आहत कुमारी रक्षा पिता अमरनाथ उम्र-5 वर्ष, निवासी सुरवाही, थाना बैहर, जिला बालाघाट के दाहिने पैर, टखने के जोड़ तथा पंजे का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक-1011 था, जो आर्टिकल ए-1 व ए-2 है, जिसे डॉक्टर समद द्वारा एक्सरे हेतु रेफर किया गया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसकी दाहिने पैर की टीबीया और फीबुला हड्डी के नीचले भाग में अस्थिभंग होना पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि दौड़ते समय यदि कोई व्यक्ति कड़ी सतह पर गिर जाए तो ऐसा अस्थिभंग हो सकता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति कड़ी सतह पर बलपूर्वक पैर के बल टकरा जाए तो ऐसा अस्थिभंग हो सकता है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार दोनों चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आहत रक्षा को अस्थिभंग होने से घोर उपहति कारित हुई थी।

11— अनुसंधानकर्ता रवि मिश्रा (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 20.02.2009 को वह थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वासुदेव की सूचना पर बोलेरो वाहन क्रमांक—एम.पी. 47/डी. 0318 के चालक सुभाष यादव के विरुद्ध अपराध क्रमांक—13/2009, धारा—279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी ईशुलाल के बताए अनुसार मौके पर जाकर घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी—4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी से साक्षियों के समक्ष एक बोलेरो वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आहत रक्षा भैरम का मुलाहिजा फार्म भरकर अस्पताल भिजवाया था। मुलाहिजा फार्म प्रदर्श पी—2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा विवेचना के दौरान प्रार्थी वासुदेव, साक्षी ईशुलाल, मुकेश और संतोष कुमार के बयान उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलों में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

12— प्रकरण में अभियोजन की ओर से जिन चक्षुदर्शी साक्षीगण वासुदेव (अ. सा.2), मुकेश (अ.सा.3), ईशुलाल (अ.सा.4) एवं संतोष (अ.सा.6) की साक्ष्य कराई गई है। इन सभी साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि वे मौके पर दुर्घटना होने के पश्चात् पहुंचे थे। इस प्रकार उक्त साक्षीगण ने मौके पर दुर्घटना के पश्चात् पहुंचकर दुर्घटना का संपूर्ण वृत्तांत पेश कर इस तथ्य का समर्थन किया है कि आरोपी के वाहन बोलेरो से आहत रक्षा की दुर्घटना कारित हुई थी और उक्त दुर्घटना में आहत रक्षा को उपहति कारित हुई थी। चिकित्सीय साक्षीगण की साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि आहत रक्षा को उक्त दुर्घटना में अस्थिभंग होने से घोर उपहति कारित हुई थी। यद्यपि उक्त दुर्घटना आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चालन किये जाने के कारण हुई थी या उक्त कारण से आहत रक्षा को घोर उपहति कारित हुई, इस संबंध में किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन नहीं किये हैं।

13— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन बोलेरो का चालन करते हुए आहत रक्षा को टक्कर मारने से उक्त दुर्घटना में आहत रक्षा को घोर उपहति कारित हुई थी, किन्तु चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी के द्वारा वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाया गया था या उसकी गलती से दुर्घटना कारित हुई थी। जिन साक्षीगण को चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन की ओर से पेश किया गया है, उन्होंने दुर्घटना के पश्चात् पहुंचकर मौके का वृत्तांत पेश किया है। ऐसी दशा में किसी साक्षीगण के द्वारा स्वयं दुर्घटना होते हुए नहीं देखे जाने से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आरोपी के वाहन से दुर्घटना होने के कारण आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चालन करते हुए मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया या इस कारण आहत रक्षा को घोर उपहति कारित की। इस प्रकार अभियोजन ने उक्त युक्तियुक्त संदेह से परे मामला प्रमाणित नहीं किया है।

14— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम. पी.47 डी/0318 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत कुमारी रक्षा भैरम को ठोस मारकर घोर उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

15— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है।

16— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बोलेरो वाहन क्रमांक एम.पी-47 डी/0318 मय दस्तावेज सुपुर्ददार अमित किशोर पिता नंदकिशोर दुबे, निवासी ग्राम बम्हनीबंजर जिला मण्डला को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट